

#1214

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - लांगान्न)



धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 650 दायर दिनांक 3/10/2025 निर्णय दिनांक 3/10/25

क्र.सं.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट
1	लाखा का बड़ा	33	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी: धीसुलाल पुत्र नारायण गाड़ी सा. देह रहन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी: धीसुलाल पुत्र नारायण गाड़ी सा. देह रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कपासन</p> <p>03.10.25 तहसीलदार कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>
			<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम लाखा का बड़ा प.ह. नुसकिया खुर्द खातासं 33</p> <p>में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>

20/10/2025
तहसील कपासन
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर गिरफ्तार

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार